LT- 4619/70

[PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART II SECTION 3 SUB-SECTION (i) AS GSR 1974 DATED 5.12.1970]

Government of India
Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals
(DEPARTMENT OF MINES AND METALS)
*****

NEW DELHI, the 12th November, 1970
21 KARTIKA, 1892.

GSR. 1974

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely:-

1. (i) These rules may be called the Mineral Concession (third Amendment) Rules, 1970.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

......./-

2. In the Mineral Concession Rules, 1960, -

(1) in rule 13, -

(i) in sub-rule (2), for the words "shall be deemed to have been rejected and the fee paid to him shall be refunded to his legal representative", the words "shall be deemed to have been made by his legal representative" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (3), for the words "the order shall be deemed to have been revoked on the occurrence of the death and the fee paid shall be refunded to the legal representative of the deceased", the words "the order shall be deemed to have been passed in the name of the legal representative of the deceased" shall be substituted;

(2) in rule 58, in sub-rule (1), the words "or in respect of which an order had been made for the grant thereof but the applicant has died before the execution of a licence or lease" shall be omitted;

(3) in rule 69, after item (xv) and the entries relating thereto, the following item and the entries shall be inserted, namely:-

" (xvi) Celestite, Phosphatic Modules, Clay and Gypsum.".

(F.No.1(27)/70-MVI)

Sd/-(M.M.BAKSHI)
UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

To

The General Manager,
Government of India Press,
Minto Road, NEW DELHI.

GF-4619/70

(भारत के राजपत्र के खण्ड 2 के भाग 3 के उप अनुभाग (i) के सा० का०/सं० 1974, तारीख 5-12-1970 में प्रकाशित किया गया)

भारत सरकार

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय

(खान तथा धातु विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 12 नवम्बर, 1970 / 21 कार्तिक, 1892(शक)

अधिसूचना

सा० का० नि० संख्या: 1974 खान तथा खनिज (विनियम और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, खनिज रियायत नियम, 1960 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् :-

1- (i) यह नियम खनिज रियायत (तृतीय संशोधन) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

(ii) यह शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हो जाएंगे ।

2- खनिज रियायत नियम, 1960 में :-

(1) नियम 13 में :-

(i) उपनियम (2) में "प्रतिक्षेपित किया गया समझा जायेगा और उसको संदत्त शुल्क का उसके विधिक प्रतिनिधि को प्रतिसंदाय कर दिया जायेगा," शब्दों के लिए, "उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा किया गया समझा जायेगा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ,

(ii) उपनियम (3) में, " मृत्यु हो जाने पर आदेश प्रतिसंहृत

----- 2

किया गया समझा जायेगा तथा संदत्त शुल्क का मृतक के विधिक प्रतिनिधि को प्रतिसंदाय कर दिया जायेगा," शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे ।

(2) नियम 58 में, उपनियम (1) में, "अथवा जिसके बारे में उसके अनुदान के लिए आदेश दिया गया परन्तु अनुज्ञप्तियां पट्टे के निष्पादन से पूर्व आवेदनकर्ता की मृत्यु हो चुकी हो " शब्द लुप्त कर दिए जायेंगे ;

(3) नियम 69 में, मद ([illegible]) तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित मद तथा प्रविष्टियां अतःस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :-

"([illegible]) सलेस्टाइट, कारफेटिक मौड्यूल्स, क्ले तथा जिप्सम "

(फाइल संख्या 1(27)/70-एम [illegible])

ह०

(मदन मोहन बख्शी)

अवर सचिव , भारत सरकार

सेवा में,

महाप्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

नई दिल्ली ।